/ /कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ (म0प्र0)/ /

(email-id : dcourtjha-mp@nic.in Phone No. : 07392-243350)

क्रमांक–..11......./सा0अनु0/2021, झाबुआ, दि0:–16/04/2021

–::विविध आदेश::–

कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी झाबुआ द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा–144 के अंतर्गत दिनांक 15.04.2021 को संपूर्ण झाबुआ जिले के लिये दिनांक 16.04.2021 की सांय 06.00 बजे से दिनांक 26.04.2021 की प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) घोषित किया है।

वर्तमान में झाबुआ जिले में कोरोना संक्रमण तीव्रगति से विस्तारित हो रहा है, न्यायालय से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता,ए0डी0पी0ओ0, जी0पी0, ए0जी0जी0, जेल में निरूद्ध अभियुक्तगण की कोरोना संक्रमित संख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। इन परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा जारी एस0ओ0पी0 क्रमांक–ए/113 दिनांक 15.01.2021 के माध्यम से जारी दिशा–निर्देशों एवं कार्यालय आदेश क्रमांक–09 दिनांक 09.04.2021 की अनुक्रम में झाबुआ जिला न्यायालय स्थापना के न्यायालयों की कार्यवाहियों को नियंत्रित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

उपरोक्त कारणों एवं कलेक्टर झाबुआ द्वारा जारी उक्त आदेश के अनुक्रम में, कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, मैं, **राजेश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ** कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोके जाने की दृष्टि से न्यायालयीन कार्यवाहियों के संबंध में दिनांक 16.04.2021 के सायंकाल 06.00 बजे से 26.04.2021 के सुबह 06.00 बजे तक अथवा अग्रिम आदेश तक निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी करता हूँ :–

1. जिला न्यायाधीश एवं अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के कार्य का समय प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व प्रशिक्षु न्यायाधीश के न्यायालयों का समय दोपहर 02.00 बजे से 05.30 बजे तक निर्धारित किया जाता है।
3. अग्रिम आदेश होने तक शनिवार एवं रविवार को सभी न्यायालयों (रिमाण्ड ड्यूटी को छोड़कर) में पूर्ण अवकाश रहेगा।
4. न्यायालयों में निम्न प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई की जावें।

(i) विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरण।

(ii) पांच वर्ष या उससे अधिक के पुराने प्रकरण।

(iii) ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा नियत समयावधि में निराकृत किये जाने बाबत् निर्देश दिये गये हैं।

(iv) सिविल, आपराधिक एवं क्लेम प्रकरण, जिसमें अंतिम तर्क सुनकर प्रकरण का निराकरण किया जा सकें।

(v) भरण–पोषण से संबंधित अर्जेन्ट प्रकृति के प्रकरण।

(vi) जमानत, सुपुर्दगीनामा, धारा–164 के कथन, रिमाण्ड, अंतिम प्रतिवेदन/परिवाद अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जो न्यायालय के मत से त्वरित सुनवाई योग्य हों।

(vii) वह प्रकरण जिनमें राजीनामा पेश किया गया है।

5. न्यायालयीन कार्यवाहियां अधिक से अधिक वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की जावेगी।

6. अभियुक्त की उपस्थिति अधिवक्ता के माध्यम से स्वीकार की जा सकेगी। अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त आदेश पत्रिका में साक्षियों/पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं कराये जावेंगे।

7. अभियुक्त के अनुपस्थित रहने की दशा में, अधिवक्ता द्वारा हाजरी माफी आवेदन प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में, भी वारंट जारी नहीं किये जावें।

Rajesh KG 16/4/2021

(राजेश कुमार गुप्ता)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ (म0प्र0)

//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ (म0प्र0)//

पृष्ठांकन क्र0..787.../सा0अनु0/2021, झाबुआ, दि0:–16/04/2021

प्रतिलिपि:–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय झाबुआ।
3 विशेष न्यायाधीश झाबुआ।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ।
5. प्रथम अपर जिला न्यायाधीश झाबुआ।
6. अपर जिला न्यायाधीश पेटलावद।
7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ।
8. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला/न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय थांदला।
(श्री खान)(श्रीमती गुप्ता)
9. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलावद।
(श्री कटारे)(श्री बर्मन)
10. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ/न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय झाबुआ।
(श्री चौहान)(श्रीमती माहेश्वरी ठाकुर)(श्री ठाकुर)(सुश्री वास्कले)
11. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड झाबुआ।
12. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी झाबुआ।
(श्री तवंर)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. कलेक्टर/जिला दंडाधिकारी झाबुआ।
14. पुलिस अधीक्षक झाबुआ।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ झाबुआ/थांदला/पेटलावद।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16. समस्त प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, प्रतिलिपि अनुभाग झाबुआ/थांदला/पेटलावद।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. जिला लोक अभियोजक झाबुआ।
18. जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ।
19. जिला जेल झाबुआ।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
20. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ।
की ओर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
21. सिस्टम/सहायक ऑफिसर झाबुआ।
की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि समस्त/सर्व संबंधितों को ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं विविध आदेश की प्रति झाबुआ जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

Rajesh KG 16/4/2021
(राजेश कुमार गुप्ता)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ (म0प्र0)